Indian Scholar

ISSN 2350-109X

www.indianscholar.co.in

An International Multidisciplinary Research e-Journal

महिला सशक्तिकरण – उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

श्रीमती संजूलता तिवारी
शोधार्थी
विधि संस्थान,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की राह में अनेक बाधाएं विद्यमान हैं। भारत में महिला और पुरुष दोनों को समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त है इसके बाद भी हमारे समाज में स्त्री-पुरुष असमानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। बिना वेतन के कार्य करने के बावजूद समाज में सम्मान नहीं मिल सका है। सम्पत्ति में अधिकार, बढ़ती हुई हिंसा, स्त्री विरोधी मानसिकता, कार्यस्थल पर शोषण, भ्रूण हत्या, सामाजिक सुरक्षा, बलात्कार की समस्याओं ने सुरक्षित वातावरण निर्मित करने की अनिवार्यता का स्वर मुखर किया है। पुरुष प्रधान समाज में घरेलू कार्यों को घर के कामकाजों को निम्म कोटि का समझा जाता है अत: भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को सर्वमान्य बनाने की आवश्यकता बनी हुई है। शिक्षा एवं कानूनों के क्रियान्वयन सशक्तिकरण में महती भूमिका निभा सकते हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ पर विचार किया गया है।

विशेष शब्द- सशक्तिकरण, शोषण, संवैधानिक, अस्तित्व, मनोवैज्ञानिक, असमाजिकता।

महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं में जीवन को स्वेच्छा से निर्वाह करने की क्षमता का विकास करना है जिससे समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार एवं स्थान प्राप्त हो। उन्हें घर तथा बाहर के कार्यस्थल में अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। समाज में सुरक्षा प्राप्त हो, समाज की उनके प्रति मानसिकता निर्मल एवं स्वस्थ हो। भारत में पुरुष-महिला दोनों को समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। समान

शिक्षा, समान अवसर और समान न्याय के अधिकार प्राप्त होने से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति में भारी बदलाव आया है।

यह सर्वविदित है कि सबसे पहले स्त्री ने ही पुरुष को घर बनाकर रहने की प्रेरणा दी, लेकिन आज उसी घर में स्त्री को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आदि विभिन्न रूपों में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप स्त्री का अस्तित्व न केवल परिवार में बल्कि परिवार के बाहर भी कमजोर हुआ है। यही नहीं, घरेलू हिंसा पीड़िता के साथ-साथ उसके बच्चों पर भी गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे असमाजिकता की ओर उन्मुख हो जाते हैं क्योंकि परिवेश अपना असर छोड़े बगैर नहीं रहता। एक सर्वेक्षण में पचास प्रतिशत महिलाओं द्वारा वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की हिंसा की बात स्वीकार की गई। ऐसे मामले कानूनी एजेंसियों तक कम ही पहुंच पाते हैं क्योंकि पत्नि-पत्नी के बीच तकरार को निजी मामला माना जाता है।

संवैधानिक प्रावधानों ने महिला सशक्तिकरण की राह प्रशस्त कर दी है। महिला सशक्तिकरण एवं विकास के लिए निस्संदेह सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई एवं कई तरह के प्रयास किए गए। बावजूद इसके अभी भी विचारों, संस्कारों में उन्हें यथेष्ट समकक्षता प्राप्त करने में देर है। इसका प्रमुख कारण यह है कि एक लम्बे समय से उन्हें जो उपेक्षा झेलनी पड़ी है, उसकी वजह से महिलाएं खुद भी अपने भीतर मानो दबी हुई हैं। इस स्थिति से उबरने का उपाय यह है कि स्त्री को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं जिससे सत्ता प्रतिष्ठानों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस दिशा में पहला प्रयास पूर्व प्रधान राजीव गांधी ने किया था, जब संविधान संशोधन करके पंचायतीराज विधेयक में स्त्रियों के लिए तीस प्रतिशत आरक्षण प्रावधान किया। हालांकि यह विधेयक कई वर्षों बाद कुछ संशोधनों के साथ पारित हुआ।

संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों ने सामाजिक असमानताओं एवं विशेषाधिकारों का उन्मूलन अर्थात जाति, लिंग, धर्म, भाषा, प्रदेश या अन्य किसी आधार पर भेदभाव या ऊंच-नीच की समाप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्त्रियाँ किसी भी समाज की प्रगति का दर्पण होती हैं। हिन्दू कोड बिल में कन्या के विवाह की निर्धारित तत्कालीन न्यूनतम आयु में वृद्धि, एक विवाह को अनिवार्य किया जाना, अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता, विधवा पुनर्विवाह की मान्यता, स्त्री को पुत्री, पत्नी व माँ के रूप में पारिवारिक सम्पत्ति का अधिकार के सुझावों ने महिला को सशक्त बनाया है।

घर हो या घर से बाहर, महिलाओं तथा बालिकाओं पर इज्ज़त का खतरा मंडराता रहता है क्योंकि संवैधानिक अधिकारों, कठोर नियमों के बावजूद सामाजिक सुरक्षा का

वातावरण निर्मित नहीं हो सका है। आज जब हमने ब्रम्हाण्ड व मानवता के बहुत से जटिल रहस्य सुलझा लिये हैं, तब भी दुनियाभर में ऐसी आदिम बुराई का पाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया भर में लगभग 35 प्रतिशत महिलाओं को अपने जीवनकाल में एक न एक बार शारीरिक अथवा यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है।[1] नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार- 'भारत में हर तीन मिनट में किसी न किसी महिला के खिलाफ अपराध होता है। भारत में शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, नवजात कन्या शिशुओं की हत्या, मानव तस्करी, ऑनर क्लिंग, एसिड अटैक व दहेज से संबंधित हिंसा व शोषण की अधिकता से दृष्टिगोचर होते हैं।' दिल्ली में हुई गैंग-रेप काण्ड भारत में बहुत होते रहते हैं। खुल में शौच जाने व अन्य काम से घर से बाहर जाने वाली ग्रामीण महिलाओं के विरुद्ध जाने कितने अपराध अपंजीकृत रह जाते हैं? यूबेर काण्ड की अभी ताजा घाव दे चुका है। जबकि यूबेर एक बहुराष्ट्रीय टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी थी। देश भर में 'स्त्री विरोधी मानसिकता का बोलबाला है। व्यवस्था और समाज इस कदर से रुग्ण और कुत्सित मानसिकता की गिरफ्त में है कि बलात्कार की घटना के बाद लड़कियों के रहन-सहन पर ही सवाल उठाये जाते हैं।'[2] महिला उत्पीड़न के मामलों में वर्ष 2013 से वर्ष 2014 में क्रमश: 31.70 प्रतिशत तथा 24.93 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी इस पर समाधान स्वरूप यह कहते हैं कि महिलाओं को इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि वह अपने छेड़छाड़ करने वालों की हड्डी-पसलियां तोड़ दे तो क्या यह वास्तविक समाधान है? सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा इतना हल्का नहीं है। वर्तमान में प्रचलित सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा आविष्कृत स्मार्ट फोन, वॉच और हेल्पलाइन को प्रचारित कर लोकप्रिय तो बनाना ही होगा साथ ही कड़े कानूनों का क्रियान्वयन ही इन अपराधों को कम करने में सहायक सिद्ध होगा।

भारत में जनस्वास्थ्य के संदर्भ में वह तथ्य उभर कर सामने आया है कि महिला सशक्तिकरण की राह में जनजागरूकता का अभाव पाया गया है। महिलाएं स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति कम जागरूक होती है साथ ही निर्धन परिवारों के सदस्य महिलाओं तथा बालिकाओं के स्वास्थ्य के प्रति कम जागरूक होती है तथा निर्धन परिवारों के सदस्य महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति कम चिंतित रहते हैं। लखनऊ में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम कर रही ऋचा सिंह कहती हैं कि- 'स्वच्छता का नाता महिलाओं की पूरी जीवनचर्या से हैं.....अनहाईजेनिक डाइटव पोशाक के कारणही महिलाओं को कई तरह की बीमारियां होती है..... ग्रामीण इलाको में प्रसव के बाद महिलाओं को अस्वच्छ स्थितियों में रखा जाता है उससे कई बार जच्चा–बच्चा की जान भी चली जाती है। सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिहाज से महिलाओं के लिए शौचालय का होना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार महिलाओं को शौच के

लिए अंधकार होने का इंतजार करना पड़ता है जिससे पेट से सम्बन्धित बीमारियां हो जाती हैं।''[3] केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सालाना प्रतिवेदन दिसम्बर 2011 के अनुसार संक्रामक मातृजन्म, प्रसवपूर्ण और पोषण बीमारियों के कारण 38 प्रतिशत मौतें होती हैं। भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी भारत के विकास की सफलता की अनिवार्य शर्त महिला सशक्तिकरण को बताया है। जिस प्रकार एक गाड़ी के संतुलन के लिए दोनों पहियों का बराबर तथा सशक्त होना आवश्यक होता है उसी प्रकार समाज में महिला एवं पुरुष का बराबर और सशक्त होना अनिवार्य है।

अत: महिलाओं को सशक्त होने के लिए ज्यादा अच्छा यह होगा कि स्त्रियों को वस्तुनिष्ठ तौर पर ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिनके सहारे वे अपने अस्तित्व का स्वेच्छा से निर्माण कर सकें। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के लिए अधिक से अधिक सहायता मिले तो वे अपनी सृजनशीलता से क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं। अभी तो उनकी खुद की समस्या यह है कि उनके व्यक्तित्व पर पुरुष वर्चस्व के कारण जो कृत्रिम सामाजिक व्यक्तित्व आरोपित है, उसी से वे पूरी तरह अपने को बचा नहीं पा रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री उस मुखौटे को उतार फेकें जो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध पहनाया गया और बाद में जिसे वह स्वभाविक समझने लगी। चीन में लोहे के जूते पहनाकर स्त्री के पांव छोटे कर दिए जाते थे। अर्थात् विश्व के हर समाज में लोहे के सांचे में जकड़ कर स्त्री के व्यक्तित्व को बौना बना दिया गया और स्त्री इसी बौनेपन को अपना गुण समझने लगी। अत: इस मानसिकता से मुक्ति जरूरी है, तभी सशक्तिकरण वास्तविक अर्थों में दिखेगा। आरक्षण से ज्यादा जरूरी यह है कि स्त्री अपने गढ़े हुए बनावटी व्यक्तित्व से अपने को मुक्त कर सके, अर्थात् उसे ऐसा परिवेश और ऐसी सहायता मिले। महिला सशक्तिकरण अभियान को वास्तविक सार्थकता तभी मिल सकती है।

संदर्भ ग्रंथ-

1. डॉ. मुनीश रायजादा – 'विश्व में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा', 16-31 दिसम्बर 2014, पृष्ठ 115
2. भाषा सिंह- 'शर्म इनको मगर नहीं आती', आउट लुक, 16-31 दिसम्बर 2014, पृष्ठ 4
3. आशुतोष कुमार सिंह- 'स्वच्छ भारत से ही साकार होगा स्वस्थ भारत', योजना जनवरी 2015, पृष्ठ 37